

(राजस्थान-सरकार)
न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)
पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 30/2023

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों
(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री राजेश गोयल पुत्र श्री महावीर प्रसाद गोयल उम्र 29 वष जाति महाजन निवासी बी-14, शिवाजी नगर, बारों (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स राजेश ट्रेडिंग कम्पनी, दीन दयाल पार्क बारों (राज.)
2. मैसर्स राजेश ट्रेडिंग कम्पनी, दीन दयाल पार्क बारों (राज.)
3. श्री भजन लाल विश्नोई पुत्र श्री जय किशन निवासी सरदार पटेल स्कूल के पास, के.के. कॉलोनी, बासनी प्रथम फेज, जोधपुर (भागीदार) मैसर्स धेनुश्री डेयरी प्रोडक्ट, खसरा नम्बर 103/2, प्लाट नं. 37 सालावास जोधपुर निर्माण इकाई ग्राम सालावास खसरा नं. 25/30 जोधपुर 342012 (राज.)
4. श्री ओम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री हनुमान प्रसाद शर्मा निवासी लखरा शिव मन्दिर के पास, वार्ड नं. 66 नोखा बीकानेर राज. 334803 (भागीदार) मैसर्स धेनुश्री डेयरी प्रोडक्ट, खसरा नम्बर 103/2, प्लाट नं. 37 सालावास जोधपुर निर्माण इकाई ग्राम सालावास खसरा नं. 25/30 जोधपुर 342012 (राज.)
5. मैसर्स धेनुश्री डेयरी प्रोडक्ट, खसरा नम्बर 103/2, प्लाट नं. 37 सालावास जोधपुर निर्माण इकाई ग्राम सालावास खसरा नं. 25/30 जोधपुर 342012 (राज.)

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (1) 51 -52 एफएसएसएक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :- 1- श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2- श्री जितेश कुमार शर्मा अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 20.10.2023

प्रकरण राजस्थान सरकार जरिये गोविन्द सहाय गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.10.2022 को मैसर्स राजेश ट्रेडिंग कम्पनी, दीन दयाल पार्क बारों जिला बारों (राज.) पर पहुंचा। वहाँ श्री राजेश गोयल पुत्र श्री महावीर प्रसाद गोयल(विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.10.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक/एच/एफएसएसए/ (एफ-28)नोटिफिकेशन/2012/172 दि. 01.02.2012 के अनुसार मुझे ब्रास सील संख्या 93 आवंटित की गई एवं श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण राज. जयपुर के आदेश दिनांक 09.06.2022 के द्वारा मुझे कार्यक्षेत्र जिला बारों आवंटित किया गया है और जिला बारों के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहाँ पर खाद्य पदार्थ शुद्ध घी (धेनु सरस) 500 एमएल मूल गत्ते पैक आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ शुद्ध घी (धेनु सरस) 500 एमएल मूल गत्ते पैक में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बाराँ द्वारा खाद्य पदार्थ **शुद्ध घी (धेनु सरस)** 500 एमएल मूल गत्ते पैक के 04 मूल गत्ता पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री राजेश गोयल पुत्र श्री महावीर प्रसाद गोयल (विक्रेता एवं मालिक) को 900/- रूपये (अक्षरे नो सौ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **शुद्ध घी (धेनु सरस)** 500 एमएल मूल गत्ते पैक के 04 पैकिट प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये एवं लेबल तैयार कर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-1569 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बाराँ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.-1569 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्टें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे कीमत श्री राजेश गोयल पुत्र श्री महावीर प्रसाद गोयल (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वयं द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाराँ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाराँ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/329 दिनांक 28.10.2022 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1352/PHL/kota/Act/2022/1354 दिनांक 17.10.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **शुद्ध घी (धेनु सरस)** 500 एमएल मूल गत्ते पैक धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** एवं धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत मिथ्याछाप होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 12.04.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा मय अभिभाषक उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा जवाब कार्यवाही मय लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसको शामिल पत्रावली किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बाराँ ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ शुद्ध घी (धेनु सरस) 500 एमएल मूल गत्ते पैक को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जाँच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत अवमानक (Sub Standard) एवं धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत मिथ्याछाप होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 51 एवं 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ शुद्ध घी (धेनु सरस) 500 एमएल मानकों पर पूर्णरूप से उत्पादित पाया गया है। नमूना लेने में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। सक्षम अधिकारी की अभियोजन स्वीकृति नियमानुसार प्राप्त नहीं की गई है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रस्तुत परिवाद निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारों द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1352/PHL/kota/Act/2022/1354 दिनांक 17.10.2022 से असन्तुष्ट थे तो अप्रार्थीगण को जर्ने पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जांच करवाये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जांच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया कि अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जांच हेतु क्य किया गया खाद्य पदार्थ **शुद्ध घी (धेनु सरस) 500 एमएल** खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1352/PHL/kota/Act/2022/1354 दिनांक 17.10.2022 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा **3(1)(zx)** के तहत **अवमानक(Sub Standard)** एवं धारा **3(1)(zf)(C)(i)** के तहत मिथ्याछाप होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 एवं 52 के तहत अप्रार्थी क्रम 3 ता 5 को कुल जुर्माना राशि 1,10,000/- रुपये (अक्षरे एक लाख दस हजार रुपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 3 ता 5 उक्त जुर्माना राशि ई-मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक में निर्धारित मद **0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय में अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **20.10.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट,
बारों (राज.)